संख्या- 77/2024/3563/22-2-2022-17(1375)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त 2024

विषयः- जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी औतार उर्फ राम औतार पुत्र श्री साधु पासी, निवासी जनपद-अमेठी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-34619/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-14-09-2022) दिनांक-02-11-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी औतार उर्फ राम औतार पुत्र श्री साधु पासी, ग्राम-ढोढ़नपुर, थाना-मोहनगंज, जनपद- अमेठी का निवासी है। पूर्व में चल रही पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19-06-1996 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूकों व लाठियों से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-550/1996 व 72/1997 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149, 307/149,379 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4 रायबरेली के आदेश दिनांक 30-06-2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 28-02-2022 तक बन्दी की आयु तक 57 वर्ष है तथा दिनांक 28-02-2022 तक अपरिहार 14 वर्ष 03 माह 13 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट अमेठी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में सशक्त है, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में चल रही पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19-06-1996 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूकों व लाठियों से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी औतार उर्फ रामऔतार पुत्र श्री साधु पासी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी औतार उर्फ राम औतार (बन्दी संख्या-114/2012) पुत्र श्री साधु पासी, निवासी जनपद-अमेठी को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या- /2024/3563(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट,अमेठी।
2- अधीक्षक, जिला कारागार रायबरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-77/2024/3563/22-2-2022-17(1375)/2022

दिनांक 06 अगस्त 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, रायबरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी औतार उर्फ राम औतार पुत्र श्री साधु पासी, ग्राम-ढोढ़नपुर, थाना-मोहनगंज, जनपद- अमेठी का निवासी है। पूर्व में चल रही पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19-06-1996 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूकों व लाठियों से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-550/1996 व 72/1997 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,302/149, 307/149,379 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-4 रायबरेली के आदेश दिनांक 30-06-2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक 28-02-2022 तक बन्दी की आयु तक 57 वर्ष है तथा दिनांक 28-02-2022 तक अपरिहार 14 वर्ष 03 माह 13 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 04 माह 16 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट अमेठी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में सशक्त है, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पूर्व में चल रही पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 19-06-1996 को बन्दी ने अपने 11 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाइसेन्सी बन्दूकों व लाठियों से मारकर 06 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्राबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी औतार उर्फ रामऔतार पुत्र श्री साधु पासी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।